MT-20

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : पतौना

निरीक्षण की तिथि : 28–06–2003

डा० बी० राजेन्दर

भा०प्र०से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 28-06-2003 को पतौना ओ० पी० का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी

I- परिचय :-

पतौना ओ० पी० जिला मुख्यालय से लगभग 25 कि०मी० की दूरी पर मधुबनी-रहिका-बिस्फी पथ से लगभग 2 कि०मी० की दूरी पर पतौना ग्राम में अवस्थित है । यह ओ० पी० वर्ष 1981 से कार्यरत है, जो बिस्फी थाना के अन्तर्गत आता है । यहाँ से बिस्फी थाना की दूरी लगभग 5 कि०मी० है । ओ० पी० स्थापना से संबंधित सरकारी अधिसूचना की प्रति उपलब्ध नहीं है । ओ० पी० प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित कर अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर संधारित करते हुए एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

लगभग एक माह पूर्व सूचना दिये जाने के बाबजूद निरीक्षण टिप्पणी तैयार कर नहीं रखी गई, जो थाना प्रभारी के अपने कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस लापरवाही के लिए अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

निरीक्षण के समय अंचल अधिकारी, बिस्फी उपस्थित थे किन्तु एक माह पूर्व सूचना दिये जाने के बाबजूद अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, बेनीपट्टी एवं आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहे, जो चिन्ताजनक स्थिति का द्योतक है एवं उनकी अनुपस्थिति के कारण उनसे संबंधित बिन्दुओं की समीक्षा नहीं की जा सकी । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि इस संबंध में दो पदाधिकारियों से अपने स्तर से स्पष्टीकरण प्राप्तकर उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे । साथ ही उन्हें यह भी निर्देश देना चाहेंगे कि भविष्य में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये जानेवाले निरीक्षण के समय वे निश्चित रूप से उपस्थित रहें ।

पतौना ओ० पी० क्षेत्र साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील है । इस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों की काफी संख्या है एवं प्रतिवर्ष श्रावण सोमवारी के अवसर पर नरसाम ग्राम स्थित शिव मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं द्वारा बिस्फी थानान्तर्गत बलहा घाट से जल उठाकर ग्रामीण अभियंत्रण संगठन पथ होते हुए लगभग 7 कि०मी० की दूरी पैदल चलकर जलाभिषेक किया जाता है । वर्ष 2001 एवं 2002 में ग्राम परसौनी में द्वितीय सोमवारी के अवसर पर मार्ग को लेकर विधि-

लगातार...2/-

व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी थी किन्तु प्रशासनिक हस्तक्षेप से उसे नियंत्रित कर लिया गया था ।

बिस्फी अंचल अन्तर्गत निम्नांकित थाना आते हैं :-

(क) बिस्फी थाना
(ख) पतौना ओ० पी०
(ग) औंसी ओ० पी०

2- भवन :-

पतौना ओ० पी० को अपना भवन नहीं है । यह श्री विमलेन्दू यादव की जमीन में उन्हीं द्वारा निर्मित ईंट-फूस के मकान में किराये पर चल रहा है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि श्री यादव द्वारा उक्त जमीन को थाना के नाम से रजिस्ट्री करने की स्वेच्छा से इच्छा व्यक्त की गई है । अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि संयुक्त रूप से पहल कर एक माह के अन्दर श्री यादव से महामहिम राज्यपाल, बिहार के नाम से उक्त जमीन की रजिस्ट्री करवाकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे । थाना के उपयोग हेतु 5 छोटे-छोटे कमरे हैं एवं परिसर भी है, जो ओ० पी० के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त है । पेयजलापूर्ति हेतु एक चापाकल है परन्तु एक चापाकल की और आवश्यकता है । शौचालय का भी अभाव है । अंचल अधिकारी, बिस्फी को निर्देश दिया जाता है कि एक चापाकल एवं शौचालय के निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

3- प्रभार :-

अ० नि० डी० पी० साह दिनांक 05-09-2002 से थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं । प्रारम्भ से लेकर अबतक पदस्थापित थाना प्रभारियों की पदस्थापन सूची (नामपदट) नहीं बनाई गई है जिससे यह पता नहीं चलता है कि कौन थाना प्रभारी किस अवधि में पदस्थापित रहे हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रारम्भ से लेकर अबतक पदस्थापित थाना प्रभारियों की पदस्थापन सूची (नामपदटी) एक पक्ष के अन्दर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार...3/-

साथ ही उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करावें ।

4- स्थापना :-

इस थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1-	अवर निरीक्षक	1	2	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	1	1
3-	हवलदार	1	-	1
4-	आरक्षी	8	4	4

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	योगदान की तिथि	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	डी0 पी0 साह	05-09-2002	-
2-	अवर निरीक्षक	हीरा लाल दास	-	-
3-	सहायक अवर निरीक्षक	मृत्युंजय कुमार आर्य	-	-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक अवर निरीक्षक के 1, हवलदार के 1 एवं आरक्षी के 4 पद रिक्त हैं । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि रिक्त पदों के विरूद्ध पदस्थापन की कार्रवाई समीक्षोपरान्त शीघ्र करना चाहेंगे ।

5- पूर्व निरीक्षण :-

पतौना ओ0 पी0 का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

लगातार...4/-

क्रमांक	निरीक्षी पदा० का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	श्री विमलेश प्रसाद सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक	08-10-2001	-	-
2-	श्री	अनु० पदा०	1996	-	-
3-	श्री महेश्वर महतो	अनु०आ०पदा०	13-01-1998	-	-
4-	श्री महेश्वर महतो	अनु०आ०पदा०	11-12-1998	-	-
5-	श्री लाल बहादुर सिंह	अनु०आ०पदा०	25-01-2001	-	-
6-	श्री नरेन्द्र कुमार	आरक्षी निरीक्षक	24-01-1996	-	-
7-	श्री एस० एन० पासवान	आरक्षी निरीक्षक	20-02-1999	-	-
8-	श्री एल० एन० माँझी	आरक्षी निरीक्षक	10-09-2001	-	-
9-	श्री एल० एन० माँझी	आरक्षी निरीक्षक	21-02-2003	-	-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1996 से निरीक्षण टिप्पणी का भौलूम अवलोकन/निरीक्षण हेतु उपस्थापित किया गया जबकि यह ओ० पी० वर्ष 1981 से ही कार्यरत है । निर्देश दिये जाने के बाबजूद निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित पूर्ण विवरणी यथा/निरीक्षी पदा० का नाम/पदनाम, निरीक्षण की तिथि, निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि एवं अनुपालन की तिथि आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था परन्तु इस निर्देश का अनुपालन थाना प्रभारी द्वारा नहीं किया गया, जो उनके अपने कार्य के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है । अतः उन्हें निर्देश दिया जाता है कि प्रारम्भ से लेकर अबतक किये गये निरीक्षण से संबंधित पूर्ण विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें एवं अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित करें कि इस प्रकार की लापरवाही के लिए उनके विरूद्ध क्यों नहीं अनुशासनिक कार्रवाई की जाय । उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अध्ययनकर छूटे हुए कंडिकाओं का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन भेजते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें । निरीक्षण टिप्पणी के अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि अनुपालन सही ढंग से नहीं किया गया बल्कि केवल खानापुरी की गई है । सामान्यतः निरीक्षण टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए । यदि उक्त अवधि में पूर्ण अनुपालन संभव नहीं हो तो कम-से-कम अंतरिम अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । अगर निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर

लगातार...5/-

नहीं भेजा जाता है तो वरीय पदाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता है । यदि समय-सीमा के अन्दर अनुपालन सुनिश्चित कर दिया जाता है तो थाना के कार्य में गुणात्मक सुधार आने की संभावना रहती है । अतः थाना प्रभारी इस पर विशेष ध्यान देंगे ।

6- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म सं0 15 में थाना दैनिकी संधारित है । थाना दैनिकी के बुक नं0 9315 के क्रमांक 931401 से 931500 तक का अवलोकन किया । यह क्रमांकित मौलूम विहित प्रपत्र में संधारित है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जा रहा है परन्तु सही ढंग से सभी सूचनाओं को अंकित नहीं किया जा रहा है यथा उक्त तिथि को मौसम कैसा रहा, बिदेशी थाना क्षेत्र में प्रवेश किये अथवा नहीं आदि । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना दैनिकी को सही ढंग से संधारित करायें एवं सभी सूचनाओं को दर्ज करें ।

7- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 118 के तहत फार्म सं0 16 में फिरारी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । इस पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुल 06 व्यक्तियों का नाम दर्ज है, जो निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	नाम/पिता/पति का नाम	पता	कांड सं0 एवं धारा
1-	श्रीमती गंगा देवी जौजे बालेन्दर झा	ग्राम चन्द्रबना, थाना पतौना जिला मधुबनी	51/99, दिनांक 15-5-99 धारा 304(बी) 201/34 भा0द0वि0
2-	श्रीमती मुन्ना देवी जौजे बिमल झा	ग्राम चन्द्रबना, थाना पतौना जिला मधुबनी	तदैव
3-	श्री सत्न ठाकुर उर्फ सत्न शर्मा पे0 मथुरी ठाकुर	ग्राम इटहर, थाना पतौना जिला मधुबनी	25/2000, दिनांक 23-3-2000 धारा 366 भा0द0वि0
4-	श्री प्रवेज पे0 अब्दुल मालिक	ग्राम परसौनी, थाना पतौना जिला मधुबनी	88/99, दिनांक 30-7-99 धारा 302 भा0द0वि0
5-	श्रीमती मीना देवी जौजे अवध महथा	ग्राम परसौनी, थाना पतौना जिला मधुबनी	79/01, धारा366/376/34 भा0द0वि.

लगातार...6/-

6-	श्री अवधेश महथा पे0 विश्वनाथ महथा	ग्राम परसौनी, थाना पतौना जिला मधुबनी ।	79/01 धारा 366/376/34 भा0द0वि.	

उपर्युक्त सभी फिरार व्यक्तियों को गिरफ्तार करने हेतु थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 22-6-2003 को अंतिम बार छापामारी की गई है परन्तु गिरफ्तार नहीं किये जा सके । फिरारी पंजी के अवलोकन से पाया गया कि फिरार व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु अपेक्षित प्रयास नहीं किये गये हैं मात्र खानापूरी की गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सघन छापामारी अभियान चलाकर एवं गुप्तचर के माध्यम से उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त कर एक माह के अन्दर सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

8- रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंटस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत फार्म सं0 50 में पंजी संधारित करना है किन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर सादे पंजी में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित कर विहित प्रपत्र प्राप्तकर पंजी संधारित करते हुए एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । इस पंजी के अनुसार 22 वारंट एवं 15 कुर्की लंबित हैं । इनमें से सबसे पुराना वारंट वर्ष 1990 से लंबित है जिसका केस नं0 जी0आर0-2259/90, टी0आर0 नं0-156/02 न्यायालय श्री इरसाद अली न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मधुबनी से संबंधित है । यह वारंट श्री बालेश्वर यादव पे0 शिव नन्दन यादव, ग्राम बरहा थाना बिस्फी(पतौना) के नाम से निर्गत किया गया है । लगभग 13 वर्षों से वारंट को तामिला हेतु लंबित रखना, अत्यन्त ही चिन्ताजनक स्थिति है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित सभी वारंट एवं कुर्की का निष्पादन कर एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि इस विलम्ब के लिए क्यों नहीं उन्हें दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय ।

पदाधिकारीवार लंबित वारंट एवं कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	लंबित वारंट	लंबित कुर्की
1-	अवर निरीक्षक	हीरा लाल दास	13	7

लगातार...7/-

2-	अवर निरीक्षक	दामोदर सिंह	2	7
3-	स0 अ0 नि0	मृत्युंजय प्रसाद आर्य	7	1

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अ0 नि0 हीरा लाल दास के पास सबसे अधिक 13 वारंट एवं 7 कुर्की कुल 20 लंबित है । अतएव थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर लंबित वारंट/कुर्की का निष्पादन एक माह के अन्दर कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

9- गिरफ्तार व्यक्तियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म सं0 31 ए. में इस पंजी को संधारित करना है । पंजी संधारित है । उक्त पंजी के अनुसार मार्च, 2003 में 13, अप्रील में 04 एवं मई में 09 कुल 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारी की स्थिति अच्छी है । थाना प्रभारी को इस ओर विशेष अभिरूचि लेकर सघन छापामारी अभियान चलाने की आवश्यकता है ताकि अपराधियों का मनोबल गिरे एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में सहुलियत हो ।

10-रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म सं0 25 में यह पंजी संधारित है जिसके अनुसार इस थाना में कुल अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या 06 है । इनमें से 05 डी0बी0बी0एल0 एवं 01 एस0बी0बी0एल0 है । पंजी का अद्यतन मिलान नहीं कराया गया है, जो थाना प्रभारी के अपने कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है । बिहार शस्त्र अधिनियम 48 के तहत वर्ष में एकबार इस पंजी का मिलान करवाना है, जो नहीं किया जा रहा है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि शस्त्र पंजी का मिलान प्रतिवर्ष केन्द्रीय शस्त्र पंजी से निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करें एवं एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण दें कि इस संबंध में सरकारी अनुदेश का अनुपालन किस परिस्थिति में आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है ।

11- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भौलूम II के नियम 239 ए. फार्म संख्या 43 ए. में हाजत पंजी संधारित है किन्तु इस ओ0 पी0 में हाजत भवन नहीं बना है ।

लगातार...8/-

12 - तख्ती नं0- 1 :-

सरकारी सम्पत्ति की सूची से संबंधित तख्ती नं0-1 का अवलोकन किया । इसे सही ढंग से संधारित किया गया है । सरकारी सम्पत्ति की सूची जी0पी0 परिचारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 6-6-2003 को मिलान कर नई सूची बनाई गई है जिसमें कुल 44 सामान निर्गत किया गया है । अंतिम आपूर्ति 14-6-2003 को की गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना परिसर में रखे सरकारी सम्पत्ति के साथ -साथ अन्य सम्पत्ति एवं लावारिस सम्पत्ति को भी इस सूची में दर्ज करें ताकि पूर्ण जानकारी हो सके एवं सरकारी सम्पत्ति को छिपने या इसकी क्षति पहुँचाने से रोका जा सके ।

13- तख्ती नं0- 2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारियों/आरक्षियों का नाम, पता इस तख्ती में अंकित किया गया है ।

14- तख्ती नं0- 3 :-

विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त कारखाने, भंडार, दूकानों की सूची इस तख्ती में रहती है किन्तु इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

15- तख्ती नं0- 4 :-

इस तख्ती में गोला, बारूद, आयुध के संबंध में सूचना अंकित रहती है परन्तु इस थाना में यह मामला शून्य है ।

16- तख्ती नं0- 5 :-

इस तख्ती में विष अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त दूकानों की सूची रहती है । प्रतिवेदन शून्य है ।

17- तख्ती नं0- 6 :-

इस तख्ती में उत्पाद अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त देशी/विदेशी शराब एवं अफीम के दुकानों की सूची रहती है । इस थाना में कोई भी अनुज्ञप्तिधारी नहीं है ।

लगातार...9/-

18- तख्ती नं0- 7 :-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण कांड से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है ।

19- तख्ती नं0- 8 :-

इस तख्ती में जुआ, गेमिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । इस थाना क्षेत्र में यह मामला नहीं है ।

20- तख्ती नं0- 9 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट, बाजार की सूचना अंकित की जाती है । तिथिवार सूचना निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	हाट लगने का स्थान	दिन
1-	परसौनी	वृहस्पतिवार एवं रविवार
2-	दमला	बुधवार एवं शनिवार
3-	गढ़िया	सोमवार एवं शुक्रवार
4-	पतौना	वृहस्पतिवार एवं रविदार
5-	बरदाहा	शनिवार एवं मंगलवार
6-	खंगरौठा	सोमवार एवं शुक्रवार
7-	जफरा	मंगलवार एवं शनिवार
8-	रधेपुरा	वृहस्पतिवार एवं सोमवार
9-	जगदन	शुक्रवार एवं सोमवार
10-	कठैला	वृहस्पतिवार एवं रविवार
11-	नहसा	मंगलवार एवं शनिवार
12-	मुरलियाचक	सोमवार एवं शुक्रवार
13-	परसौनी	वृहस्पतिवार एवं रविवार

लगातार... 10/-

21- तख्ती नं0- 10 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के सांसद/विधायक/पार्षद/जिला परिषद सदस्य/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्यों की सूची संधारित की जाती है । सूची अद्यतन है ।

22- तख्ती नं0- 11 :-

यह तख्ती नियम 152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में संधारित की गई है, जो अद्यतन है ।

23- तख्ती नं0-12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार कुल दागियों की संख्या 05 है जिसमें से 03 मासिक, एवं 02 वार्षिक श्रेणी के हैं । विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	श्रेणी	दागी सं0	स0नं0	नाम/पिता का नाम	पता	उन्मुक्ति
1-	मासिक	ए/133	04	सुनील कुमार श्रीवास्तव पे0 अमलदेव	ग्राम जगवन, पत्थैना	फिरार
2-	वार्षिक	ए/132	08	सुखदेव सहनी पे0 दर्शन सहनी	ग्राम बेलौंचा, पत्थैसा	फिरार
3-	मासिक	बी/35	08	योगेन्द्र मुखिया पे0 नथुनी मुखिया	ग्राम जफरा, पत्थैना	उपस्थित
4-	मासिक	बी/58	07	हीरा शाह पे0 बदउल हवा	ग्राम परसौनी, पत्थैना	उपस्थित
5-	वार्षिक	बी/56	04	रामाशीष यादव पे0 विलट यादव	ग्राम दमला, पत्थैना	उपस्थित

24- तख्ती नं0-13 :-

इस तख्ती में अगल-बगल के थाना के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती का अवलोकन किया। इस तख्ती के अनुसार कुल 15 सक्रिय अपराधियों की सूची अंकित की गई है, जो रैयाम, रहिका एवं विस्फी थाना क्षेत्र के हैं ।

25- तख्ती नं0- 14 :-

इस तख्ती में उच्चाधिकारियों को भेजी जानेवाली विवरणी लिखी जाती है । तख्ती अद्यतन है ।

लगातार...11/-

26- तख्ती नं0- 15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है । थाना का मानचित्र उपलब्ध है, जिसे टाँगकर रखा गया है जबकि उसकी एक प्रति इस तख्ती में भी रहनी चाहिए । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि मानचित्र को अद्यतन कर एक प्रति तख्ती में भी संधारित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27- तख्ती नं0- 16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना जिसके अनुसार थाना का सृजन हुआ है, की प्रति रखी जाती है परन्तु अधिसूचना की प्रति उपलब्ध नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर जिला मुख्यालय से सम्पर्ककर, अधिसूचना की प्रति प्राप्तकर तख्ती में संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27- तख्ती नं0- 17 :-

इस तख्ती में थाना के पदाधिकारी/कर्मचारी का कार्य वितरण की सूची अंकित की जाती है, जो अंकित है ।

उपर्युक्त सभी तख्तियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सारी सूचनाओं का संधारण नहीं किया गया है । थाना प्रभारी एक सप्ताह के अन्दर व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर सभी सूचनाओं को अद्यतन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

28- सब इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं0-75 बी0 में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है परन्तु इस थाना में इसे संधारित नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी मुख्यालय से विहि प्रपत्र प्राप्तकर एक सप्ताह में संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

29- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-1 :-

इस थाना में यह पंजी संधारित नहीं है । ओ0पी0यु0/ थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि संशोधि प्रपत्र जिसमें 68 कॉलम हैं, जिला मुख्यालय से प्राप्तकर संधारित करते हुए एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार...12/-

30- अतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट- II :-

यह पंजी संधारित नहीं है। इसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक पक्ष के अन्दर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें।

31- सी0 डी0 पार्ट- I :-

इसमें दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है। इस पंजी के अनुसार कुल दागियों की संख्या 05 है।

32- सी0 डी0 पार्ट- II :-

यह पंजी संधारित है। इसमें सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं। जब किसी अपराधी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होता है तो उसे इस पंजी में दर्ज किया जाता है। इस पंजी में दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है। इसमें अंतिम पूर्वविहित संख्या 188, जो बेनीपट्टी थाना कांड संख्या 07/94, दिनांक 5-1-94 धारा 395, 397 भा0द0वि0 से संबंधित है, अंकित है। इसमें आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है

33- सी0 डी0 पार्ट- III :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार दर्ज की जाती है। थाना प्रभारी द्वारा पिछले मुहर्रम पर्व के अवसर पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ दर्ज की गई है।

34- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यह पंजी संधारित है। जब किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है तो उसे अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर सी0डी0 पार्ट-II से जानकारी ली जाती है। वस्तुतः अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी में उन्हीं व्यक्तियों का नाम

लगातार...13/-

रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त रहते हैं । यह पंजी सी०डी०पार्ट-।। में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई गई है । यदि इस पंजी में अंकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है ।

35- एम० ओ० रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म सं० 76 ए. में एम०ओ० रजिस्टर संधारित है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली यथा लूट-पाट किया गया अथवा नहीं, लाठी डंडा से मारपीट किया गया अथवा नहीं, जाते समय क्या-क्या बोला गया आदि की प्रविष्टि की जाती है ।

36- अप्राकृतिक मृत्यु :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है परन्तु क्षतिग्रस्त है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर इसे वाइन्डिंग कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	साँप काटने	गिरने	जलने	फाँसी लगाने	जहर खाने	पानी में डूबने	गिरने से	अन्य कारण से
1998	-	-	-	-	1	-	-	-
1999	-	-	-	-	1	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	1
2001	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	2
2003	-	-	-	-	-	-	-	-

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कांड सं०	दिनांक	लंबित का कारण	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम
1-	यू०डी०केस नं०04/98	29-5-98	भिसरा रिपोर्ट हेतु	-
2-	यू०डी०केस नं०02/99	22-9-99	भिसरा रिपोर्ट हेतु	-

लगातार...14/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि यू0डी0 कांड संख्या 4/98 एवं 2/99 काफी दिनों से लंबित चला आ रहा है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर दोनों कांडों का निष्पादनकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

37- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किये जानेवाले मामलों के लिए अलग से पंजी संधारित नहीं है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस संबंध में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक वृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में आकर शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है । विदित हो कि यह क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य है जहाँ मुसहर/अल्पसंख्यक जाति के लोगों की संख्या काफी है । भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव होने की घटना एवं अनुसूचित जाति के विरूद्ध अत्याचार की घटना के संबंध में अक्सर विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से सूचनाएँ मिलती रहती हैं । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित गति से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करें । यदि एक-दो मामलों में कार्रवाई होती है तो इस अधिनियम के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल जायेगी एवं पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा । इस अधिनियम को सख्ती से लागू कराना सुनिश्चित करें ।

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म सं0-67 में यह पंजी संधारित करना है किन्तु इस थाना में यह पंजी संधारित नहीं है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि थाना मालखाना में एक भी आर्म्स जमा नहीं है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर पंजी संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

39-दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म सं0 6 ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । इस

लगातार...15/-

नियम में स्पष्ट किया गया है कि प्रपत्र संख्या 69. में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी अधिकारी को प्रेषित करेंगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे । किन्तु इस अपेक्षा का अनुपालन आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी द्वारा नहीं किया जा रहा है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

40- चौकीदारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारी पंजी संधारित है । यह पंजी 19 कॉलमों में है जिसमें सभी चौकीदारों के लिए अलग-अलग पृष्ठ आवंटित हैं । उपस्थिति रोमण अंक में दर्ज की जाती है । अनुपस्थित चौकीदारों के संबंध में लाल ईंक से इटालियन अंक में लिखा जाता है ।

चौकीदारों/दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति
1-	दफादार	3	3	-
2-	चौकीदार	27	27	-

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि पदस्थापित चौकीदारों/दफादारों की पूर्ण विवरणी एक सप्ताह अन्दर भेजने का कष्ट करें ।

1- चौकीदार डिस्पोजीशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं सभी 8 कॉलम भरा हुआ पाया गया ।

- मालखाना पंजी :-

मालखाना पंजी संधारित है । मालखाना पंजी के अवलोकन से पाया गया कि प्रदर्श 56, कुर्की 30, लावारिश ।

लगातार...16/-

एवं सुरक्षा हेतु । कुल 88 दर्ज है । मालखाना का निरीक्षण नहीं किया जा सका । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि मालखाना का प्रभार अ0नि0 दामोदर सिंह के पास था जिनका स्थानान्तरण इस ओ0 पी0 से विस्फी थाना हो गया है परन्तु वे अभीतक मालखाना का प्रभार नहीं सौंपे हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर श्री सिंह से मालखाना का प्रभार ग्रहण कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी अपने स्तर से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे । मालखाना में जब्त प्रदर्श, कुर्की आदि की वर्षवार सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	वर्ष	प्रदर्श	कुर्की	लावारिश	सुरक्षा हेतु
1-	1991	1	-	-	-
2-	1992	5	-	-	-
3-	1993	1	-	-	-
4-	1994	7	4	-	-
5-	1995	6	-	-	-
6-	1996	4	2	1	-
7-	1997	1	-	-	-
8-	1998	5	5	-	-
9-	1999	8	17	-	-
10-	2000	6	1	-	-
11-	2001	4	1	-	-
12-	2002	6	-	-	-
13-	2003	2	-	-	1
कुल :-		56	30	1	1

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1991 से लेकर 2002 तक काफी संख्या में प्रदर्श/कुर्की लंबित हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित न्यायालय से केस की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्तकर उसे निष्पादित करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

लगातार... 17/-

43- मालखाना रिसिट भाउचर पंजी :-

सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जब्त प्रदर्श मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति मालखाना रिसिट भाउचर पंजी में पेस्ट कर रखा जाता है । मालखाना बन्द रहने के कारण इस पंजी का अवलोकन नहीं किया जा सका ।

44- अनुक्रमणी पंजी :-

थाना में कितने तरह की पंजी संधारित है एवं कितनी पंजियाँ हैं, उसके संबंध में कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है।थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना में संधारित की जानेवाली सभी पंजियों के लिए एक अनुक्रमणी पंजी एवं संचिकाओं की प्रविष्टि हेतु संचिका पंजी एक सप्ताह के अन्दर संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । यह/प्रतिवेदित करें कि इस थाना में कुल कितनी पंजियाँ एवं कुल कितनी संचिकाएँ खोली गई हैं ।

45- गुण्डा पंजी :-

गुण्डा पंजी संधारित है परन्तु अद्यतन नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी को एक सप्ताह के अन्दर अद्यतन कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

46- अपराध आँकड़ा :-

विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृह भेदन	चोरी	दंगा
1998	-	-	-	2	-	7
1999	1½1½	-	1½1½	-	3½1½	2½2½
2000	1½1½	-	-	1	1½1½	1½1½
2001	1½1½	-	-	-	-	4½4½
2002	1½1½	-	-	1	1	7½5½
2003	-	-	-	1	2	लगातार..18/2½5½

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपराध के सभी क्षेत्रों में कांड प्रतिवेदित होते रहे हैं । अतः थाना प्रभारी को इस ओर विशेष सतर्क रहकर अपराध की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है ।

47- पत्राचार :-

पत्राचार हेतु विहित प्रपत्र में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि विगत तीन वर्षों के पत्राचार की विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

48- कॉन्सटेबल नोट बुक :-

इस थाना में कॉन्सटेबल नोट बुक संधारित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि कॉन्सटेबल नोट बुक एक सप्ताह के अन्दर संधारित कराते हुए (विहित प्रपत्र में) अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

49- प्राथमिकी पंजी :-

प्राथमिकी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । प्राथमिकी पंजी के बुक नं0 22322 के क्रमांक 1116051 से 1116100 तक का अवलोकन किया । यह पाँच प्रतियों में है । प्राथमिकी की मूल प्रति विस्फी थाना में रहती है एवं दो प्रति इस थाना में संधारित किया जाता है । जिला मुख्यालय में प्रत्येक वृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार में लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है । जब आम आदमी थाना प्रभारी के पास न्याय के लिए आता है, अगर उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती है, प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है तो उनका विश्वास प्रशासन से उठ जाता है एवं वे हताश होकर उच्चाधिकारियों अथवा न्यायालय की शरण में चले जाते हैं । जब कोई व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है तथा वे थाने की शरण में आता है तो उनकी समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुने, प्राथमिकी दर्ज करें एवं पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करें । यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस वर्ष अबतक दर्ज प्राथमिकी की विवरणी माहवार एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें ।

लगातार...19/-

50- लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

पतौना ओ० पी० में लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	कांड संख्या	तिथि / धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम/पदनाम	लंबित का कारण
1-	54/99	धारा 307/498/ भा०द०वि०	अ०नि० दामोदर सिंह	आदेश हेतु
2-	230/91	धारा 3/4 वि०पदा०अधि०	अ०नि० दामोदर सिंह	बाँच हेतु
3-	88/2000	धारा 302/328 भा०द०वि०	अ०नि० डी० पी० साह	बाँच रिपोर्ट हेतु
4-	24/2002	धारा 363/366/34 भा०द०वि०	अ०नि० दामोदर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
5-	06/2003	धारा 147/148/149/447/504/323/324/436	अ०नि० डी० पी० साह	आदेश हेतु
6-	11/2003	धारा 307/भा०द०वि० 27 आर्म्स एक्ट	अ०नि० डी० पी० साह	आदेश हेतु
7-	38/2003	धारा 498(ए)/323/34 भादवि एवं 3/4 द०अ०	अ०नि० डी० पी० साह	प्रतिवेदन-II हेतु
8-	44/2003	धारा 366 (क) भा०द०वि०	अ०नि० हीरा लाल दास	आदेश हेतु
9-	52/2003	धारा 306/201/34 भा०द०वि०	अ०नि० हीरा लाल दास	अनुसंधान हेतु

51- लंबित अविशेष प्रतिवेदित कांडों की सूची :-

1-	153/98	धारा 409/120(बी) भा०द०वि०	अ०नि० हीरा लाल दास	अनुसंधान हेतु
2-	117/1999	धारा 379/ भा०द०वि०	अ०नि० दामोदर सिंह	गिरफ्तारी हेतु
3-	14/2003	धारा 379 भा०द०वि०	अ०नि० हीरा लाल दास	पर्यवेक्षण हेतु
4-	23/2003	धारा 147/148/341/323/448/420/504/379	स०अ०नि० एम०के०आर्य	गिरफ्तारी हेतु
5-	31/2003	धारा 143/447/379/427/भा०द०वि०	अ०नि० हीरा लाल दास	गिरफ्तारी हेतु
6-	36/2003	धारा 457/380/411 भा०द०वि०	अ०नि० डी० पी० साह	पर्यवेक्षण हेतु
7-	40/2003	धारा 279/304(19) भा०द०वि०	अ०नि० हीरा लाल दास	पर्यवेक्षण हेतु
8-	43/2003	धारा 147/148/149/448/341/323/380	अ०नि० डी० पी० साह	पर्यवेक्षण हेतु
9-	53/2003	धारा 341/323/307/379/34 भा०द०वि०	अ०नि० डी० पी० साह	पर्यवेक्षण हेतु
10-	59/2003	धारा 147/342/323/379/भा०द०वि०	अ०नि० डी० पी० साह	पर्यवेक्षण हेतु
11-	64/2003	धारा 452/341/323/380/354/504/34 भा०	अ०नि० हीरा लाल दास	पर्यवेक्षण हेतु

लगातार...20/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विशेष प्रतिवेदित कांड वर्ष 99 से 2000 तक 04 एवं अविशेष प्रतिवेदित कांड 98 एवं 99 का दो लंबित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है इन कांडों को एक माह के अन्दर निष्पादित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

52- चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन :-

चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिए अलग से पंजी संधारित नहीं की गई है । इस वर्ष चरित्र सत्यापन हेतु 09 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनका निष्पादन किया जा चुका है । एक भी आवेदन लंबित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त होनेवाले आवेदन पत्रों के लिए एक अलग से पंजी संधारित करें एवं ऐसे आवेदन पत्रों का निष्पादन कर एक सप्ताह के अन्दर संबंधित विभाग को निश्चित रूप से भेज दें ताकि किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित होना नहीं पड़े ।

53- अप्राथमिकी आँकड़ा :-

विगत तीन वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्न प्रकार है ।

क्रमांक	वर्ष	धारा 107	116(1)(3)	144	182/211	113	188
1-	2000	50	1	144	1	-	1
2-	2001	53	9	4	-	3	-
3-	2002	54	2	6	2	-	1
4-	2003	15	-	5	-	-	-

54- डकैती रजिस्टर :-

यह पंजी संधारित है । इस पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 1997 में डकैती के एक कांड प्रतिवेदित

लगातार...21/-

हुआ था । उसके बाद डकैती का एक भी कांड प्रतिवेदित नहीं हुआ है ।

55- रोकड़ पंजी :-

रोकड़ पंजी संधारित है । प्रथम भाग में कैदी के भोजन मद में मो0 3203/-रूपये अवशेष है । द्वितीय भाग में माह जून के आरक्षियों के वेतन की राशि मो0 71, 234/-रू0 प्राप्त हुई थी जिसका वितरण कर दिया गया है । राशि शेष नहीं है ।

56- अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में ए0पी0पी0 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित मामलों का अनुसंधान कार्य को त्वरित गति से निष्पादित करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

(ख) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में अक्सर यह शिकायत मिलती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतएव थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दें । गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन थाना को भेजे जाते हैं, उसका तामिला निश्चित रूप से निर्धारित समय-सीमा के अन्दर करावें ।

(ग) नीलाम पत्र वादों में प्राप्त डी0डब्लू/बी0डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ।

57- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर पतौना ओ0 पी0 का कार्य-कलाप पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है । थाना प्रभारी को कड़ी मिहनत करने की आवश्यकता है । परिसर की नियमित साफ-सफाई/पंजियों/अभिलेखों के संधारण में समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है । निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का समय-सीमा के अन्दर अनुपालन सुनिश्चित करें । यदि समय-सीमा के अन्दर

लगातार...22/-

अनुपालन सुनिश्चित कर दिया जाता है तो ओ०पी० के कार्य में न केवल गुणात्मक सुधार आ जायगा बल्कि सक्रिय अपराधियों पर नियंत्रण रखने, विधि-व्यवस्था के संधारण में आशातीत सफलता मिलेगी ।

ह०/- डा० बी० राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 174 मु० /सामान्य मधुबनी, दिनांक 31 जुलाई, 2003 ई० ।

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : गृह सचिव, गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी महानिरीक्षक(प्रशासन), बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी/आरक्षी निरीक्षक, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, बिस्फी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि : थाना प्रभारी, पतौना ओ०पी० को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

30/7/03

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।